सूची–१४ –फारम सं० ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं०– 116/2012

जवाहर राम

बनाम

सरकार (मार्फत अनु० पदा, मढौरा, सारण)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
23.07.2015	यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा, सारण के आदेश ज्ञापांक 2415, दिनांक 08.08.2012 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 10.01.2012 को जिला स्तरीय जांच दल सं०–21 जिला मत्स्य पदाधिकारी,सारण,छपरा के द्वारा जवाहर राम, ज०वि०प्र०वि, अनु० सं०–77/07, पंचायत–डउरा पुरसौली, प्रखंड–इसुआपुर की दूकान की जांच की गई थी। जाँच के क्रम में, विक्रेता की दूकान से संबंधित निम्न अनियमितताएँ पाई गई। 1. लाभुकों की सूची प्रदर्शित नहीं। 2. संयुक्त नमूना प्रदर्शित नही। 3. पंजी अनुमंडल में जमा रखना। 4. उठाव की सूचना निगरानी एवं अनुश्रवण समिति को नहीं देना। 5. प्रति लीटर 17 रू० किरासन तेल देना। न इसके समक्ष वितरण करना। उक्त अनियमितता के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढौरा, सारण के ज्ञापांक 504/गो०,दिनांक 19.03.2012 के द्वारा विक्रेता से कारण–पृच्छा किया गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया जिसे असंतोषजनक पाकर अनज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उसकी	

अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के द्वारा कूपन के आधार पर प्राप्त सामग्री का वितरण किया जाता है। उपभोक्ताओं की सूची विक्रेता को प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा दिनांक 20.01.2012 को उपलब्ध कराया गया, जिस कारण लाभुकों की सूची प्रदर्शित नहीं की गई। उठाव के समय विक्रेता को संयुक्त नमुना अलग से उपलब्ध नहीं कराया जाता है, जिसके कारण विक्रेता के द्वारा इसे प्रदर्शित नहीं किया गया। राशन किरासन का वितरण करने के पश्चात् अनुमंडल पदाधिकारी के यहां वितरण पंजी एवं भण्डार पंजी निदेशानुसार जमा किया गया था, जिसकी छायाप्रति जवाब के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया गया। विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनुदानित सामग्री का उठाव एवं वितरण ससमय किया जाता है। जांच के क्रम में यदि कोई प्रतिकूल बिन्दु पाया जाता है तो यह आवश्यक है कि प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से उसे विक्रेता को उपलब्ध कराकर उनसे पूरक कारण पृच्छा किया जाए,लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि विक्रेता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनियमितता बरती गई है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करना उचित प्रतीत होता है।

उक्त पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 2415, दिनांक 08.08.2012) में कई कमियां नजर आ रही है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा किए गए कारण पृच्छा मे विक्रेता के विरूद्ध आरोप लगाने वाले उपभोक्ताओं के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, और न ही विक्रेता को उपभोक्ताओं के बयान की प्रति ही उपलब्ध कराई गई है। इस तरह अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत कारण पृच्छा अपने आप में अस्पष्ट और अपूर्ण है। राशन किरासन के वितरण के पश्चात् सभी पंजियों को अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में यदि जांचार्थ अनुमंडल कार्यालय में जमा किया गया था,तो इसे

अनियमितता मानकर कारण पृच्छा करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन दिनांक 07.09.2012 को स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

23/7/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

23/7/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक.....495...../न्या0, दिनांक...25/7/15.....

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञानपदाधिकारी,एन0आई0सी0 सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निदेशानुसार प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।
24/7/15